निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 440) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

18 फरवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–03/2012/468—श्री दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, वाल्मीकिनगर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्व पदस्थापन अवधि में कमला कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं कमला आदित्य कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर परियोजनान्तर्गत नेपाल हितकारी योजना के तहत नहर पुनर्स्थापन कार्यो के आवंटन में बरती गई अनियमितता की जॉच विभागीय उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी।

उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 1317 दिनांक 24.10.13 द्वारा श्री चौधरी से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण पूछा गया।

1. अभियन्ता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 3376 दिनांक 17.08. 2010 के कंडिका–4 के द्वारा Serious Unbalanced Rate के लिए Additional Performance Guarantee की मांग निविदाकर से किये जाने का प्रावधान है। मुख्य अभियन्ता, वाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन नेपाल हितकारी योजना 2009 के अन्तर्गत मुख्य पश्चिमी नहर से संबंधित पुनर्स्थापन कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना में उक्त तथ्य की अनदेखी की गयी। उक्त निविदा आमंण की सूचना में Additional Performance Guarantee से संबंधित तथ्य उल्लेख नहीं रहने के कारण आपसे अपेक्षित था कि आप अपने स्तर से उक्त तथ्य का अनुपालन कराते हुए संशोधित निर्णय सूचना आमंत्रित करने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता को निलंबित करते जिसका अनुपालन आपके स्तर से नहीं किया गया। फलस्वरूप सरकार को भारी राजस्व की क्षति हुई जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।

श्री चौधरी ने अपने पत्रांक 3239 दिनांक 18.11.2013 द्वारा विभाग में स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें मुख्यतः निम्न बाते कही गयी है।

नेपाल हितकारी योजना 2009 के कार्य हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, वाल्मीकिनगर के पत्रांक 2317 दिनांक 27.08.10 द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। निविदा बिक्री की तिथि 29.09.2010 निर्धारित थी। BSNL Link में गड़बड़ी रहने के कारण मुख्य अभियंता के पत्रांक 2549 दिनांक 28.09.2010 द्वारा निविदा बिक्री एवं प्राप्ति तिथि क्रमशः 05.10.2010 एवं 06.10.2010 की गयी। Additional Performance Guarantee लेने संबंधित अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना का पत्रांक 3378 दिनांक 17.08.2010 एवं 3740 दिनांक 08.09.2010, मुख्य अभियंता कार्यालय में दिनांक 15.10.10 को प्राप्त हुआ। मुख्य अभियंता कार्यालय के पत्रांक 2675 दिनांक 20.10.2010 द्वारा उपरोक्त पत्र अधीक्षण अभियंताओ को भेजा गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रण सूचना में Serious Unbalanced Rate से संबंधित प्रावधान शामिल करने में अनदेखी का आरोप निराधार है। साथ ही Serious Unbalanced Rate से संबंधित पत्र विभाग से निविदा प्राप्ति के बाद प्राप्त हुआ। कार्यहित में नेपाल हितकारी योजना 2009 के लिए प्राप्त निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित नहीं कराया गया, क्योंकि प्राप्त निविदा को रद्द करने का कोई आदेश विभाग से प्राप्त नहीं था। इस प्रकार प्राप्त निविदा को रद्द कर Serious Unbalanced Rate से संबंधित तथ्य को सम्मिलित कर पुनर्निविदा नहीं करने का आरोप निराधार है।

श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये।

Serious Unbalanced Rate उद्धत करने की स्थिति में Additional Performance Guarantee लेने से संबंधित पत्र तत्कालीन मुख्य अभ्यिंता, वाल्मीकिनगर को दिनांक 15.10.2010 को प्राप्त हुआ। तत्कालीन मुख्य अभियंता द्वारा कमलादित्य कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड को दिनांक 27.01.2011 को अनुसूचित दर से 15% कम दर पर कार्य आवंटित किया गया। तत्कालीन मुख्य अभियंता, वाल्मीकिनगर के द्वारा यह कहना कि उक्त पत्र मुख्य अभियंता कार्यालय को दिनांक 15.10.2010 को प्राप्त हुआ जबकि निविदा बिक्री की तिथि 5–6 अक्टूबर 2010 थी। यह मान्य नहीं हो सकती है। क्योंकि विधिवत सूचना के अतिरिक्त भी अन्य माध्यम यथा विभागीय बेवसाईट पर भी उपलब्ध था। निर्गत निविदा नोटिस को देखने से यह भी स्पष्ट है कि यह निविदा मुख्य अभियंता द्वारा निर्गत किया गया है और इस संबंध में एकरारनामा भी मुख्य अभियंता के द्वारा ही किया गया है। SBD के प्रावधान में भी यह उल्लिखित है कि Statutory Order प्रभावी माने जायेंगे। यदि निविदा आमंत्रण सूचना में इसका उल्लेख नहीं हुआ तो भी एकरारनामा करने के समय Additional Bank Guarantee ली जा सकती थी या कार्यान्वयन के समय भी उसे प्राप्त किया जा सकता था। अतएव जान–बूझकर इस संबंध में संवेदक को लाभ पहुँचाया गया और Additional Performance Guarantee प्राप्त नहीं की गई। जिसके लिए श्री चौधरी दोषी है।

समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा श्री चौधरी को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः–

1. दो वेतन वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिनेश कुमार चौधरी, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, वाल्मीकिनगर सम्प्रति मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान को निम्न दण्ड अधिरोपण एवं संसूचित किया जाता है।

1. दो वेतन वृद्वि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 440-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in